



www.agrabharat.in

अग्रा भारत

नई सोच का अखबार

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्ष: 19

अंक: 110

आगरा, गुरुवार 07 अक्टूबर 2026

पृष्ठ: 8 मूल्य: 2.00 ₹.

आयोग की मतदाता सूची विवाद पर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने

रिजिजू ने कपिल सिब्बल के पुराने भाषण से किया पलटवार

नई दिल्ली(ए)। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में गरमागरमी बढ़ गई है। इस बीच, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा सांसद और यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके कपिल सिब्बल का एक पुराना भाषण साझा कर विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन पर करारा सवाल उठाया है। रिजिजू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उन्हें वैसे तो कपिल सिब्बल पसंद नहीं हैं, लेकिन पहली बार वे उन्हें पसंद आए हैं। उन्होंने इसका कारण भी बताया।

रिजिजू ने कपिल सिब्बल का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, मुझे



वाले ड्रामे का पर्दाफाश किया है! रिजिजू का दावा है कि कपिल सिब्बल का संसद में दिया गया यह भाषण उनके कानून मंत्री के कार्यकाल का है। इस वीडियो में कानून मंत्री के तौर पर संसद में दिए गए अपने पुराने भाषण के जरिए कांग्रेस पार्टी के फर्जी वोट चोरी

हटाने की प्रक्रिया तीन श्रेणियों के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपना निवास स्थान एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर लिया है, तो उसका नाम पुराने क्षेत्र से हटा दिया जाएगा। वह मतदाता बना रहेगा, लेकिन किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र

में। उसका नाम दो जगह नहीं रह सकता है। यदि उसने अपना निवास स्थान बदल लिया हो, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में पुराने निर्वाचन क्षेत्र में भी बना रहे और नए निर्वाचन क्षेत्र में भी दर्ज हो जाए, ऐसी स्थिति में उनमें से एक नाम रह करना होगा। यदि किसी व्यक्ति का निधन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसका नाम हटाना पड़ता है। सिब्बल आगे कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत शिकायत है, तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को पीड़ित व्यक्तियों से चुनाव आयोग से संपर्क करने और कमियों को उजागर करने के लिए कहना चाहिए। वे यह भी बता सकते हैं कि वे ईआरओ (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) के पास जाओ और खुद को रजिस्टर्ड कराते के हकदार हैं। यदि उनका नाम हट भी गया है, तो यह उन्हें फिर से रजिस्टर होने से नहीं रोका जा सकता है। वे ईआरओ के पास जा सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं।

रिपोर्ट: भारत ने जमीन, हवा और समुद्र पर मजबूत न्यूक्लियर ट्रायड किया तैयार

नई दिल्ली,(ए)। डिफेंस वर्ल्ड से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने दुश्मनों की नोंद उड़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब करीब 190 परमाणु बम हैं। भारत ने जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर ऐसा मजबूत न्यूक्लियर ट्रायड तैयार कर लिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। एक तर्फ जहां भारत दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री ताकत और रणनीतिक नीतियों को लेकर खामोश रहता है, वहीं देश का डिफेंस सिस्टम अंदर ही अंदर ऐसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के पास धरती से लेकर खतरनाक अग्नि सीरीज की मिसाइलें मौजूद हैं। जो सभी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हैं। अग्नि-1 की मारक क्षमता करीब 700 किमी है, जबकि अग्नि-2, अग्नि-3 और अग्नि-4 की क्रमशः 2,000, 3,200 और 3,500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक पहुंच सकती हैं। अग्नि-5 की रेंज 6,000 किलोमीटर से कम बताई गई है, लेकिन यह इतनी जबरदस्त है कि पाकिस्तान, चीन, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और यूरोप तक के बड़े हिस्से को अपनी रेंज में संभल लेती है। इसकी लंबी दूरी भारत को इसे सीमा से काफी अंदर, देश के सुरक्षित अंदरूनी



हिस्सों से भी तैनात करने की क्षमता देती है। रिपोर्ट में अग्नि-5 की मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटबल री-एंट्री व्हीलर तकनीक का प्रदर्शन करने का भी जिक्र है। एमआईआरवी एक मिसाइल से कई अलग-अलग लक्ष्यों की ओर कई पुनःप्रवेश वाहनों को निर्देशित करने की क्षमता देती है, जिससे एक ही मिसाइल कई टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। अग्नि-पी भी व्यापक ऑपरेशनल तैनाती की ओर बढ़ रही है। भारत के परमाणु ट्रायड का तीसरा हिस्सा समुद्र में मौजूद है, जिसे अप्रैल 2026 में तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के शामिल होने से और मजबूती मिली है। यह आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के साथ भारत की समुद्री परमाणु क्षमता को मजबूत करती है। पनडुब्बियों की

सबसे बड़ी खासियत उनकी छिपकर रहने की क्षमता है, जिससे किसी बड़े हमले के बाद भी विश्वसनीय जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता बनी रह सकती है। भारत की वायु आधारित परमाणु क्षमता में मिराज 2000 प्रमुख भूमिका में है, और जगुआर को भी परमाणु मिशन से जुड़ा बताया गया है। भविष्य में पुराने जगुआर विमानों की जगह राफेल की भूमिका बढ़ने का अनुमान है। भारत की परमाणु नीति लंबे समय से पहले इस्तेमाल नहीं पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ भारत ऐसी क्षमताएं विकसित कर रहा है जो विश्वसनीय और सुनिश्चित जवाबी हमला कर सकें। यही रणनीति भारत के परमाणु प्रतिरोध की मुख्य आधारशिला है, जो उसे पड़ोसी परमाणु शक्तियों के खिलाफ एक मजबूत स्थिति प्रदान करती है।

एसआईआर के बहाने नाम काटने वाले पर एफआईआर दर्ज

हैदराबाद(ए)। तेलंगाना में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी फॉर्म 7 दाखिल किए जाने के मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई हैदराबाद के चिक्कडपल्ली थाने में भाजपा के एक बृथ लेवल एजेंट (बीएलए) के खिलाफ की गई है। आरोप है कि उस एजेंट ने मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र के 30 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म 7 जमा करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि ये सभी मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं। यह एफआईआर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले दर्ज की गई है। पुलिस ने मुशीराबाद के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) टी. प्रवीण कुमार रेड्डी की शिकायत पर भाजपा के एस. बालचंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर यह सामने आया है कि बालचंदर ने जिन फॉर्म 7 को जमा करने की कोशिश की, उनमें संबंधित मतदाताओं के नाम पहले से ही प्रिंट थे। भाजपा के राजनीतिक विरोधियों ने इन प्री-प्रिंटेड फॉर्म को पार्टी कार्यालय से 'केंद्रीय रूप से तैयार किए जाने का सबूत' बताया है। हैदराबाद के बहादुरपुरा और गोशामहल विधानसभा क्षेत्रों से भी मतदाताओं की जानकारी पहले से प्रिंट किए गए ऐसे ही फॉर्म सामने आने की बात कही गई है, जिससे इस फर्जीवाड़े के व्यापक होने की आशंका जताई जा रही है। एफआईआर के अनुसार, बालचंदर 28 सितंबर को मतदान केंद्र संख्या 210 के बृथ लेवल ऑफिसर के पास 30 प्री-प्रिंटेड फॉर्म 7 लेकर पहुंचा था। आरोप है कि इन फॉर्म के जरिए ऐसे मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई, जिनसे उसका कोई संबंध नहीं था। एफआईआर में कहा गया है कि बीएलओ और सुपरवाइजर ने इन फॉर्म को लेते से इनकार कर दिया। इसके बावजूद, भाजपा के इस बीएलए ने बार-बार फॉर्म स्वीकार करने का अनुरोध किया। जब फॉर्म स्वीकार नहीं किए गए तो बालचंदर उन्हें बीएलओ के परिसर में छोड़कर वहां से चला गया। अधिकारियों के मुताबिक, 1 अक्टूबर को व्यक्तिगत स्तर पर फील्ड वरिफिकेशन किया गया। इसमें पाया गया कि जिन 30 लोगों के नाम फॉर्म 7 के जरिए हटाने के लिए दिए गए थे, वे सभी हैदराबाद के मुशीराबाद के ही निवासी हैं। इसी आधार पर एफआईआर में कहा गया कि संबंधित फॉर्म 7 स्वीकार नहीं किए जा सकते और उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। इर 30 लोगों में कांग्रेस का एक बीएल भी शामिल बताया गया है।

बिहार: बाढ़ पीड़ितों के खाते में सम्राट चौधरी भेजेंगे पैसा

पटना(ए)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबंधित विभागों को बाढ़ से हुई क्षति का आकलन कर उसके पुनर्स्थापन में होने वाले खर्च की प्रथम दृष्टया विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास तथा आवश्यक विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह भी घोषणा की कि द्वितीय चरण में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच 12 अक्टूबर को सात-सात हजार रुपये की अनुग्रहिक राहत राशि वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोक सेवक आवास में बाढ़ की स्थिति एवं इससे हुई क्षति को लेकर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी के बाद संभावित परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस वर्ष गंगा, गंडक एवं सोन नदियों में पूर्व के वर्षों की तुलना में अधिक मात्रा में पानी आने के कारण बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई थी। नदियों में बाढ़ आने की एक प्रमुख वजह नदी तल में गाद (सिल्ट) का जमा होना भी है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने गाद नीति बनाई है। उन्होंने नदियों की वर्तमान स्थिति एवं बाढ़ से हुई क्षति की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बिहार में दो चरणों में आई बाढ़ के कारणों और उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में गंगा, सोन, घाघरा, कोसी एवं पुनपुन नदियों में उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया। वहीं, दूसरे चरण में अधिक बारिश के कारण गंडक नदी में चार स्थलों पर उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज एवं सारण जिले में छह स्थलों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हुए थे। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव वृत्तिय कुमार मल्ल ने बाढ़ के दौरान किए गए राहत एवं बचाव कार्यों की भी जानकारी दी। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गौन, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, आपदा प्रबंधन मंत्री रलेश सदा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने बताया कि राज्य में बाढ़ की स्थिति अब अंतिम चरण में पहुंच रही है और स्थिति सभी जगह नियंत्रण में है। हालांकि, सरकार अभी भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने मंगलवार को पार्टी दफ्तर में जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार गंडक और गंगा ने कई जगहों पर नया उच्चतम जलस्तर बनाया, जिसके कारण कई स्थानों पर तटबंधों पर भारी दबाव की स्थिति बनी।

पीएनबी घोटाला: मेहुल चोकसी से जुड़े आरोपी को झटका, निजी मुचलके पर रिहाई की अर्जी खारिज

मुंबई, (ए)। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले से जुड़े मामले में विशेष अदालत ने आरोपी सुनील वर्मा को निजी मुचलके पर रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह मामला फरार आरोबारी मेहुल चोकसी से जुड़े कथित बैंक घोटाले से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश एस.के. करहले ने आरोपी को निजी मुचलके के बजाय नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की वित्तीय गंभीरता और आरोपी के पूर्व आचरण को ध्यान में रखते हुए निजी मुचलके पर रिहाई देने से इनकार किया। अदालत की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इस मामले में जांच एजेंसियां कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े वित्तीय लेन-देन और आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही हैं।

7,080.9 करोड़ रुपये के नुकसान का मामला

मामले की शुरुआत फरवरी 2018 में हुई, जब पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज किया था। शिकायत में बैंक को करीब 7,080.9 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप लगाया गया था। सीबीआई के अनुसार, मामले की जांच शुरू होने के समय सुनील वर्मा विदेश में थे। जांच के दौरान उनके अंतिम ज्ञात पते पर समन भेजे गए। बाद में अदालत ने और से उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया।

हाईकोर्ट ने शर्त के साथ रद्द किया था वारंट

इसके बाद वर्मा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने इस शर्त पर गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया कि वह विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होगा। वर्मा ने अदालत के निर्देश का पालन करते हुए विशेष अदालत में पेशी दी। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी, लेकिन 18 जुलाई 2024 को अदालत ने गिरफ्तारी की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वर्मा ने सीबीआई कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराया।

राहुल गांधी को हिरासत में लेने पर शशि थरुर, बोले- सरकार की प्रतिक्रिया शर्मनाक

नई दिल्ली,(ए)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरुर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ कथित हाथापाई की तस्वीरों पर दुख व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया को शर्मनाक बताया। थरुर ने कहा कि जब करोड़ों मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किए जाने का मुद्दा उठाया जा रहा है, तब विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है।

सांसद शशि थरुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, 'नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हाथापाई करने और उन्हें हिंसात में ले जाने की तस्वीरें देखकर मैं बहुत परेशान हूँ।' उन्होंने आरोप लगाया कि 13 करोड़ मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे समय में विरोध प्रदर्शन उन सभी नागरिकों के साथ खड़े होने का माध्यम है, जिनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। थरुर ने इस पूरे मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया को शर्मनाक करार दिया।



जर्मनी में होने के कारण प्रदर्शन में नहीं हुए शामिल

सांसद शशि थरुर ने यह भी स्पष्ट किया कि वह विपक्षी गठबंधन के इस प्रदर्शन में शामिल क्यों नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि चार महीने पहले बर्लिन में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने का वादा कर चुके थे और इसी कारण वह जर्मनी में हैं। ऐसे में वह मौके पर मौजूद रहकर प्रदर्शन का समर्थन नहीं कर सके। थरुर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वह दूर से ही इस प्रदर्शन का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उनका दिल वहीं है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि न्याय जरूर मिलेगा। उनके इस बयान को राहुल गांधी के समर्थन और विपक्ष के प्रदर्शनों के प्रति एकजुटता के रूप में देखा जा रहा है।

करीब आठ घंटे का धरना फिर हिरासत में लिए गए राहुल गांधी

इससे पहले मंगलवार को मुख्य

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नई दिल्ली में प्रदर्शन किया। चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान धरना, नारेबाजी और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। राहुल गांधी को चुनाव आयोग के मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित आकाशवाणी भवन परिसर में धरने के दौरान करीब आठ घंटे बाद हिरासत में लिया गया। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और विपक्षी दलों के कुछ अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि, करीब दो घंटे बाद रात लगभग 10 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को रिहा कर दिया गया।

हरीश रावत का स्टिंग करने वाले उमेश कांग्रेस में होंगे शामिल

देहरादून(ए)। उत्तराखंड कांग्रेस एक बार फिर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को लेकर आंतरिक कलह में उलझती नजर आ रही है। उमेश कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस कदम का जोरदार विरोध करते हुए मोर्चा खोल दिया है। उनका स्पष्ट आरोप है कि जिस व्यक्ति ने वर्ष 2016 में उनकी सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कांग्रेस के भीतर कुछ हड़दंगी तत्व आज उसे हीरो बनाने में लगे हैं। हरीश रावत की हाल ही में संपन्न हुई धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा के बाद पार्टी के भीतर उपजा यह विवाद इस बात की एक प्रमुख वजह माना जा रहा है।

हरीश रावत ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खुलकर उठाया है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2016 में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने और गिराने में जो व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट बना था, आज उसी व्यक्ति को कुछ नए ब्रांड के हरिद्वार व इसके आस-पास के हड़दंगिये कांग्रेसी महिमामंडित करने में लगे हुए हैं। रावत का आरोप है कि पहले तो लोकसभा चुनाव के समय इस तरह का प्रयास था, लेकिन अब यह



प्रयास और भी गहरा हो गया है। उनके अनुसार, सरकार गिराने का माध्यम बने वह व्यक्ति अब वंदनीय दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके पास अपार दौलत है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर 2016 में उनकी सरकार गिरने के बाद खरीदा गया है। उत्तराखंड कांग्रेस में मचे इस सियासी घमासान और प्रदेश प्रभारी के आपत्तियों के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अगले राजनीतिक कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद है कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस बातचीत के बाद ही कांग्रेस में जारी खींचतान और हरीश रावत के भावी रुख को लेकर तस्वीर साफ होने की

उम्मीद है।अपने दर्द को साझा करते हुए हरीश रावत ने कहा, जिस व्यक्ति ने सरकार बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, संघर्ष किया, वो आज उनकी नजर में विलन है। और जिस व्यक्ति के कारण उत्तराखंड से 10 साल के लिए कांग्रेस की विदाई हुई, वो व्यक्ति आज उनके लिए हीरो बन गया है। बता दें कि हरीश रावत और उमेश कुमार के बीच वर्ष 2016 के चर्चित स्टिंग ऑपरेशन के बाद से ही विवाद बना हुआ है। तब उमेश कुमार एक पत्रकार थे, लेकिन अब वे खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक हैं। गौरतलब है कि इस बार हरीश रावत भी खानपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, जिससे यह विवाद और गहरा गया है। उमेश कुमार पत्रकारिता के क्षेत्र से राजनीति में आए हैं। देहरादून में एक प्राइवेट चैनल की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 2022 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने। 2016 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें विधायकों की खरीद-फरोख्त की बात सामने आई थी।

महंगाई को काबू करने साढ़े तीन साल बाद बढ़ी रेपो रेट

नई दिल्ली,(ए)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार बढ़ी रही खाद्यान्नों पर महंगाई को काबू करने के लिए आखिरकार साढ़े तीन साल बाद (43 महीने) रेपो रेट बढ़ा ही दिया। महंगाई और ग्लोबल मार्केट के तमाम दबाव के बावजूद अभी तक आरबीआई ने इसे काबू में रखा था, लेकिन बुधवार को आखिरकार इसमें 0.25 फीसदी रेट बढ़ा दिया है। अब रेपो रेट बढ़कर 5.50 फीसदी पहुंच गया है, जो अभी तक 5.25 फीसदी रहा था। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन, ऑटो लोन समेत अन्य सभी तरह के खुदरा लोन की ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर मकान खरीदारों पर पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर ने पिछले तीन दिनों से चल रही मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बुधवार को इसके फैसलों का खुलासा

किया। उन्होंने बताया कि महंगाई के दबाव में आखिरकार रेपो रेट को बढ़ाना पड़ रहा है। गवर्नर ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की



बढ़ोतरी का ऐलान किया और अब प्रभावी रेपो रेट बढ़कर 5.50 फीसदी पहुंच गया है। इसका सीधा असर होम लोन, ऑटो लोन समेत अन्य सभी तरह के खुदरा कर्ज पर पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादातर बैंकों की

ब्याज दरें रेपो रेट से ही जुड़ी होती हैं। रेपो रेट में यह बढ़ोतरी फरवरी, 2023 के बाद पहली बार की गई है। गवर्नर ने बताया कि स्टैंडिंग डिफॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीफ की दरों को 5.25 फीसदी पर बरकरार रखा है, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 5.75 फीसदी पर बनाए रखा है। आरबीआई ने ब्याज दरों को बढ़ाने के साथ ही अपने रुख को भी न्यूट्रल से बदलकर सख्त कर दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अगर महंगाई की ब्याज दरें नहीं सुधरीं तो रेपो रेट में और बढ़ोतरी हो सकती है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि ग्लोबल मार्केट में जारी उत्पटक और घरेलू बाजार में इंधन महंगा होने के बाद खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों ने महंगाई का दबाव बढ़ा दिया है।